वाणिज्य अ.ज. – 380

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाणिज्य विभाग

क्रं-अ.वि.वि.नि.लि/मु.अ.(वा.)/अ.अ. (वा.)/फा.(57) ई/ 2008/प्रे. 3238 दिनांक 13/X/2008

आदेश

विषयः- कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के निस्तारण हेतु "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना" (Amnesty Scheme 2008-2009)

कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की काफी राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डीपीएस) भी बढ़ता जा रहा है। इस बारे में विचार कर ऐसी राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये निम्नलिखित "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना-2008-09 (Amnesty Scheme 2008-09)" लागू की जाती है:-

1. चालू (Running) कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर कनेक्शन हेतु):

   31.03.08 को कुल बकाया राशि में से मूल बकाया राशि का एक मुश्त 31.12.08 तक जमा कराने पर, कुल बकाया राशि में से "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी। साथ ही 01.04.08 से भुगतान करने की तिथि तक इकट्ठी हुई मूल राशि एवं 31.03.08 को बकाया मूल राशि तथा दोनों राशियों पर "विलम्ब से भुगतान अधिभार (DPS)" भी उपभोक्ता को जमा कराना होगा।

2. 31.03.08 को अथवा इससे पूर्व में कटे हुए (Disconenected) कृषि श्रेणी (मीटर एवं फ्लैट दर) कनेक्शन हेतु :

   31.03.08 को कुल बकाया राशि में सम्मिलित "विलम्ब भुगतान अधिभार (DPS)" की राशि माफ कर दी जावेगी एवं मूल राशि मय 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज (01.04.08 से भुगतान की तिथि तक) उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त जमा कराना होगा।

3. उपभोक्ता योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्ते :-

   (i) यह योजना 31.12.08 तक लागू रहेगी।

   (ii) योजना सभी कटे एवं चालू कृषि कनेक्शनों (मीटर एवं फ्लैट रेट) के सामान्य एवं उन उपभोक्ताओं पर जिन्हें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है अर्थात जिन्हें रोस्टर प्रणाली से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, पर लागू होगी।

   (iii) उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भरकर सम्बन्धित अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

   (iv) विद्युत चोरी, अनियमितता एवं दुरूपयोग आदि के प्रकरणों में यह योजना लागू नहीं होगी।

   (v) न्यायालयों में लम्बित मामलों की स्थिति में सम्बंधित उपभोक्ता को स्वेच्छा से अपना केस न्यायालय से वापस लने की अन्डरटेकिंग देनी होगी।

   (vi) इस योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन्होनें निगम के आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज.238 दिनांक 08.03.06, वाणिज्य अ.ज. 276 दिनांक 13.02.07, वाणिज्य अ.ज. 292 दिनांक 13.04.07 एवं वाणिज्य अ.ज. 340 दिनांक 29.02.08 के अन्तर्गत इस तरह की योजना का लाभ लिया था।

D:\Teena\Hindi letter.doc

36 18/4/11

Amnesty scheme (2008-09) for providing relief in the disposal of pending dues for agricultural consumers

वाणिज्य अ.ज. - 380

अनुलग्नक 'अ'

आवेदन पत्र के अन्तर्गत "कृषक राहत एवं भुगतान सहायता योजना"
(**Amnesty Scheme**) 2008-09

सहायक अभियन्ता (   )
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
..................................।

महोदय,

मै रियायत योजना 2008-09 के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता हूँ मेरे कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार से है:-

1. उपभोक्ताओं का नाम एवं पता
2. विद्युत कनेक्शन की श्रेणी
3. उपभोक्ता का खाता संख्या
4. सम्बन्धित कार्यालय का नाम जहाँ से
   बिल जारी होते है।
5. विद्युत संबंध विच्छेद है अथवा चालू है
6. प्रमाणित किया जाता है कि मैनें/हमने निगम के आदेश क्रमांक वाणिज्य अ.ज. 238 दिनांक 08.03.06, वाणिज्य अ.ज. 276 दिनांक 13.02.07, वाणिज्य अ.ज. 292 दिनांक 13.04.07 एवं वाणिज्य अ.ज. 340 दिनांक 29.02.08 के अन्तंर्गत इस तरह की योजना का लाभ नहीं लिया था।
7. प्रमाणित किया जात है कि मेरे पर बकाया राशि विद्युत चोरी (Theft) व अनियमितता (Malpractice) के मद में नहीं है।
8. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा उपरोक्त विद्युत सम्बन्ध के बारे कोई कोर्ट केस लम्बित नहीं हैं।

अथवा

मेरे उपरोक्त विद्युत संबंध के बारे में अजमेर विद्युत वितरण निगम के विरूद्ध जो कोर्ट केस लम्बित है, उसे वापिस लेने के लिये सहमत हूँ।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

(vii) संबंधित सहायक अभियन्ता, विलम्ब भुगतान अधिभार/ब्याज की रकम का लाभ देने में सक्षम होगें।

(viii) यदि उपभोक्ता उपरोक्त योजना के अनुसार निर्धारित राशि कों समय पर जमा कराने में असफल रहता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(ix) कटे हुऐ कनेक्शनों को पुर्नस्थापित कराना आवश्यक नहीं है। हालांकि कटे हुए कनेक्शनो को कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार ही पुर्नस्थापित किया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से

(एस.एल. धानका)
मुख्य अभियन्ता (CTM)
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, उदयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/झुन्झुनूं।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम .... को अतिरिक्त .... प्रतिलिपियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम/आर.पी.पी.सी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/ उदयपुर/जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता (   ) अजमेर डिस्कॉम ....
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (   ), अजमेर डिस्कॉम ....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. प्रावेधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
15. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)